न्यायालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार बाड़ी

मु.नं. 93/2018 निर्णय दिनांक 25/01/2018

उनवानः-

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का सलेमाबाद ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी खसरा नम्बर 400 रकबा 4.05 किस्म चारागाह बारे ग्राम आडमपुर पर श्यामलाल पुत्र नाथीलाल जाति कोली निवासी आडमपुर तहसील बाड़ी ने सम्वत् 2074 रबी/खरीफ में फसल आलू कर अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधि1956की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी नहीं आया

पटवारी हल्का ने उपस्थित अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी श्यामलाल पुत्र नाथीलाल जाति कोली निवासी आडमपुर को आ. ख. नं. 400 रकवा 4.05 वारे ग्राम आडमपुर से तुरन्त प्रभाव से बेदखल किया जाता है तथा लगान 1913 का 50 गुना शास्ती राशि 9571/- (अक्षरे रूपेय नौ हजार पांच सौ इकहत्तर रु.) आरोपित की जाती है। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू. अभि. निको लिखा जावे। T R A को मतालवा कायम कराया जावें। इजराय पत्रावली पृथक से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

फैसला आज दिनांक 25/01/2018 को खुले इजलास पढकर सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसील बाड़ी (धौलपुर) राज.

9571 - 4